25

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2568/एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.07.2015 पारित द्वारा– अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 122/अपील/2013–14

.....

1– मुरारीलाल पुत्र हरिविलास
2– देवेन्द्र पुत्र रामहेत
3– द्वारिका पुत्र कोकसिंह
4– होतम पुत्र किशनजाज

समस्त निवासी ग्राम बुढहेरा
तहसील जौरा जिला मुरैना ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

.....

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0वाजपेयी)
(शासकीय अभिभाषक श्री प्रखर ढेंगूला)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 4 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 122/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील जौरा के ग्राम बुढहेरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क0 803/7 एवं 808 शासकीय भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिकमण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ–68/2012–13 दर्ज कर दिनांक 03.08.2013 को आदेश पारित कर मुरारी पुत्र

हरिविलास पर अतिक्रमण सिद्ध पाये जाने से रू. 5000/– , देवेन्द्र पुत्र रामहेत पर रू. 15000/–, द्वारिका पुत्र कोकसिंह पर रू. 10,000/– तथा होतम पुत्र किशनलाल पर रू. 5000/– अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमित शासकीय भूमि पर से बेदखल करने के आदेश दिये। विचारण न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 03.08.13 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर से कब्जा नहीं हटाये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थीगण के विरूद्ध सिविल कारागार की कार्यवाही की जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.05.14 के द्वारा विचारण न्यायालय को प्रतिवेदन अनुसार बेदखली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र अपीलार्थीगण को जारी हो कि अतिक्रमण 07 दिवस में हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा सिविल कारागार हेतु वारंट जारी किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 02.07.17 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.14 को उचित मानते हुये अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में आवेदक अभिभाषक तथा अनावेदक शासकीय अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में वही बिन्दु दोहराये जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित किये हैं। प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील जौरा के ग्राम बुढहेरा में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 803/7 एवं 808 पर आवेदकगण के अतिक्रमण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को कारण

बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। आवेदकगण के घर पर न मिलने के कारण नोटिस को घर पर चस्पा कराया गया। विचारण न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा मौजा पटवारी के प्रकरण में कथन लिये गये। पटवारी प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण पाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.08.13 के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध अर्थदण्ड एवं कब्जा बेदखल का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी विचारण न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुये आदेश दिनांक 20.05.14 के द्वारा विचारण न्यायालय के प्रतिवेदन अनुसार बेदखली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र अपीलार्थीगण को जारी हो कि अतिक्रमण 07 दिवस में हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा सिविल कारागार हेतु वारंट जारी करने के आदेश पारित किये।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 से संबंधित है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखली की कार्यवाही किये जाने की अधिकारिता प्राप्त है। इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय चरनोई की भूमि है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 248 के तहत् विचारण न्यायालय द्वारा की गई अर्थदण्ड एवं बेदखली की कार्यवाही उचित है। अपर आयुक्त द्वारा भी विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही को उचित माना है। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 122/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश ग्वालियर